

(कृपया ब्लॉकलेटर्स में लिखें या टाइप करें)

इनके लिए आवेदन : टेलीग्राफिक ट्रांसफर (टीटी) रीयल टाइम ग्राँस सेटलमेंट (आरटीजीएस)
 (कृपया जहाँ लागू हो वहाँ पर सही का निशान लगाएँ) डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी)

आवेदक का नाम:

नाम : _____
 संपर्क संख्या : _____
 पता : _____
 ईमेल पता : _____
 (केवल एनईएफटी भुगतान के लिए) मोबाइल नंबर: _____
 (केवल एनईएफटी भुगतान के लिए)
 मेरा डीबीएस खाता संख्या डेबिट करें। _____
 जमा डीबीएस चेक संख्या _____

टीटी की मुद्रा : _____
 राशि शब्दों में _____
 टीटी / डीडी / आरटीजीएस / एनईएफटी मुद्रा में राशि _____
 (शुल्कों को छोड़कर)
 टीटी / डीडी / आरटीजीएस / एनईएफटी मुद्रा में राशि _____
 (शुल्क सहित)
 शहर और देश जहाँ देय है _____
 (केवल डीडी/ टीटी के लिए)
 विदेशी प्रभार लाभार्थी के खाते के लिए हैं _____
 (केवल टीटी /डीडी के लिए)
 प्रेषक के खाते के लिए हैं, कृपया खाता संख्या डेबिट करें। _____

लाभार्थी की जानकारी

लाभार्थी का नाम _____ कृपया सही का निशान लगाएँ जो लागू हो (एनईएफटी भुगतान के लिए ही)
 लाभार्थी खाता संख्या _____ डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ खाता नहीं रखने वाले ग्राहकों के लिए 50
 एनईएफटी
 लाभार्थी खाता संख्या फिर से दर्ज करें _____ 51 भारत-नेपाल प्रेषण
 लाभार्थी के बैंक का आईएफएससी कोड _____ 52 कार्ड भुगतान
 (केवल आरटीजीएस / एनईएफटी के लिए)
 लाभार्थी के बैंक का नाम और पता _____
 (केवल टीटी /डीडी के लिए) _____
 बैंक समाशोधन कोड (स्विफ्ट पता आदि) _____
 (केवल टीटी के लिए। कृपया यह जानकारी उपलब्ध होने पर प्रदान करें)

भुगतान की जानकारी (यदि कोई हो-टीटी/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए) _____

मेरे/हमारे खाते और बिना किसी ज़िम्मेदारी या दायित्व के जोखिम के लिए और उन शर्तों के अधीन जो मैंने/हमने पढ़ी और समझी हैं। कृपया उपरोक्त विवरण के अनुसार इस लेन-देन को प्रभावी करें।

कंपनी मुहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षर (यदि लागू हो) तारीख

दि	दि	म	म	व	व	व	व
----	----	---	---	---	---	---	---

संग्रह मोड (डीडी के लिए)

कंपनी मुहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षर (यदि लागू हो) तारीख

दि	दि	म	म	व	व	व	व
----	----	---	---	---	---	---	---

डीडी की प्राप्ति की पावती

मैं डीडी की प्राप्ति स्वीकार करता हूँ/करती हूँ
 कंपनी मुहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षर (यदि लागू हो) तारीख

दि	दि	म	म	व	व	व	व
----	----	---	---	---	---	---	---

बैंक के उपयोग के लिए

हस्ताक्षर द्वारा	सत्यापित द्वारा	स्वीकृत द्वारा	संसाधित द्वारा	अधिकृत द्वारा	जाँच की गई

महत्वपूर्ण नोट: इलेक्ट्रॉनिक भुगतान केवल लाभार्थी खाता संख्या के आधार पर संसाधित किए जाएंगे और ग्राहक को लाभार्थी खाता संख्या दर्ज करते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि लाभार्थी खाता संख्या सही नहीं है, तो बैंक सही खाते में क्रेडिट न होने/विलंबित क्रेडिट के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

1. भुगतान प्रक्रिया के लिए बैंक अपने प्रथागत कदम उठा सकता है। ऐसा करने में, बैंक आवेदक की ओर से मेल, टेलेक्स, केबल, स्विफ्ट या किसी अन्य माध्यम से धन भेजने या प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जैसा कि वह उचित समझे और किसी संवाददाता, उप-एजेंट या का उपयोग करने के लिए अन्य एजेंसी, लेकिन किसी भी मामले में बैंक या उसके किसी भी संवाददाता या एजेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, वायर केबल या मेल या किसी डाक प्राधिकरण, टेलीग्राफ, केबल की ओर से होने वाली खराबी, रुकावट, चूक, त्रुटियों या देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। वायरलेस कंपनी या ऐसे प्राधिकरण का कोई कर्मचारी या किसी अन्य कारण से। बैंक, अपने प्रतिनिधियों या एजेंटों के माध्यम से या अन्यथा स्पष्ट भाषा, कोड या सिफर में इस हस्तांतरण से संबंधित कोई संदेश भेज सकता है।
2. बैंक के पास लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी आवेदन को कारण बताते हुए या बिना कोई कारण बताए स्वीकार करने से इंकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
3. बैंक स्वयं या उसके कर्मचारियों या किसी संवाददाता, उप-एजेंट या अन्य एजेंट या उनके कर्मचारियों की किसी भी त्रुटि, लापरवाही, चूक, कार्यों या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
4. जिस देश में विप्रेषण किया गया है, उस देश के अलावा किसी अन्य मुद्रा का भुगतान प्राप्तकर्ता को उक्त देश की मुद्रा में बैंक के प्रतिनिधियों या एजेंटों की खरीद दर पर किया जाएगा, जब तक कि भुगतानकर्ता संवाददाता या एजेंट के साथ व्यवस्था द्वारा भुगतान प्राप्त नहीं कर लेता है। बैंक के संवाददाता या एजेंट के संबंध में सभी शुल्कों का भुगतान करने पर कुछ अन्य मुद्रा
5. जब तक अन्यथा स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से लिखित रूप में सहमति नहीं दी जाती है, बैंक अपने विवेक से आवेदक से प्राप्त धन को उस दिन बैंक की बिक्री दर पर विदेशी मूल्यों में परिवर्तित कर सकता है जिस दिन ऐसी धनराशि प्राप्त होती है। बैंक का लिखित में यह कथन कि उसने ऐसा बदलाव किया है, निर्णायक होगा।
6. करों या मूल्यहास के कारण धन के मूल्य में किसी भी कमी के लिए या परिवर्तनीयता, मांग, अनैच्छिक हस्तांतरण, बाधाओं पर प्रतिबंध के कारण ऐसी निधियों की अनुपलब्धता के लिए, बैंक की आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कोई भी चरित्र, सरकार या सैन्य शक्तियों का प्रयोग, युद्ध, हड़ताल या बैंकों के नियंत्रण से परे अन्य कारण से कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके अलावा, (i) यदि मुद्रा का उद्गम देश ऐसी निधियों की उपलब्धता, क्रेडिट या हस्तांतरण को प्रतिबंधित करता है, तो बैंक को धन का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं होगा, चाहे ड्राफ्ट या नकद या संबंधित मुद्रा में किसी अन्य माध्यम से या कोई अन्य मुद्रा और (ii) ईएमयू (आर्थिक और मौद्रिक संघ) से संबंधित किसी भी मामले की स्थिति में (ईएमयू के विघटन सहित, लेकिन सीमित नहीं, ईएमयू से एक या एक से अधिक भाग लेने वाले राज्यों की वापसी या संरचना में कोई बदलाव भाग लेने वाले राज्यों की) जो यूरो की उपलब्धता, क्रेडिट या हस्तांतरण को प्रतिबंधित करता है या अन्यथा बैंक के लिए यूरो फंड के संबंध में अपने दायित्वों को पूरा करना असंभव या अत्यवहारिक बनाता है, बैंक को धन का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं होगा, फिर चाहे वह ड्राफ्ट के माध्यम से या नकद या प्रासंगिक मुद्रा या किसी अन्य मुद्रा में किसी अन्य माध्यम से किया गया हो।
7. आवेदक बैंक, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, संवाददाताओं और एजेंटों को आवेदक के विवरण, इस आवेदन, उसकी विषय वस्तु और आवेदक के खातों और मामलों के बारे में किसी भी जानकारी का खुलासा करने की सहमति देता है, जैसा कि बैंक किसी भी जांच के उद्देश्य से उचित समझे। इसके लिए आवेदन किया गया मसौदा और उससे जुड़ा कोई भी लेनदेन।
8. बैंक किसी भी समय उपरोक्त नियमों और शर्तों में से किसी या सभी को जोड़ने, बदलने, बदलने और संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि आवश्यक हो तो 30 दिनों की पूर्व सूचना के साथ नियमों या दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर लागू हो सकता है।
9. विदेशी मुद्रा ड्राफ्ट का नकदीकरण अदाकर्ता बैंक के नकदीकरण अभ्यास की आवश्यकताओं के अधीन है।
10. विदेशी मुद्रा ड्राफ्ट का नकदीकरण उस देश के नियमों और विनियमों के अधीन है, जहाँ ड्राफ्ट भुनाया जाना है। कुछ देशों में विनियम प्रतिबंधों की व्यापकता को देखते हुए, ड्राफ्ट के नकदीकरण के संबंध में बैंक की देयता किसी भी मामले में उस मुद्रा में भुगतान की अनुमति से अधिक नहीं होगी, जिसमें ड्राफ्ट किसी भी सरकार के तहत तैयार किया गया है। या भुगतान के स्थान पर मौजूद अन्य प्रतिबंध या संबंधित मुद्रा के प्रमुख वित्तीय केंद्र या यूरो, यूरोपीय संघ या इसके किसी सदस्य देश के मामले में, भुगतान निर्देश प्राप्त होने या किए जाने के समय। किसी भी अधिनियम या आदेश या किसी सरकार या सरकारी एजेंसी या किसी भी समाशोधन, निपटान या भुगतान प्रणाली की विफलता या किसी अन्य कारण से होने वाली देरी या हानि के लिए न तो बैंक और न ही उसके प्रतिनिधि या एजेंट उत्तरदायी होंगे।
11. आवेदक स्वीकार करता है कि बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित कट-ऑफ समय से पहले आवेदन जमा करने पर उसी दिन आरटीजीएस/एनईएफटी हस्तांतरण प्रभावी हो जाएगा और बैंक भुगतान का समय/निर्धारण तय करने के लिए स्वतंत्र है, अन्यथा स्थानांतरण अगले कार्य दिवस पर प्रभावी होगा।
12. आवेदक सहमत है कि बैंक द्वारा निष्पादित किए जाने पर आरटीजीएस/एनईएफटी भुगतान आदेश अपरिवर्तनीय हो जाएगा। आवेदक इसके द्वारा बैंक को उसके द्वारा जारी किसी भी भुगतान आदेश के बैंक द्वारा निष्पादन के लिए उसके द्वारा बैंक को दी गई किसी भी देनदारी को उसके खाते से डेबिट करने के लिए अधिकृत करता है।
13. बैंक किसी भी अधिनियम या आदेश या किसी सरकार या सरकारी एजेंसी या आरटीजीएस/एनईएफटी प्रणाली की विफलता या किसी भी अन्य कारण से होने वाली देरी या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, बैंक इस अनुबंध के अनुसार प्रेषण के लिए और किसी भी संवाददाता, उप-एजेंट या अन्य एजेंसी का उपयोग करने के लिए अपने प्रथागत कदम उठा सकता है, लेकिन किसी भी मामले में बैंक या इसके किसी भी संवाददाता या एजेंट आरटीजीएस/एनईएफटी प्रणाली या किसी अन्य कारण से बैंक या उसके संवाददाता जिम्मेदार नहीं होंगे।
14. बैंक के पास इस टेलीग्राफिक ट्रांसफर / डिमांड ड्राफ्ट को विप्रेषक द्वारा निर्दिष्ट स्थान से भिन्न स्थान पर निकालने का अधिकार सुरक्षित है, यदि परिचालन परिस्थितियों की आवश्यकता हो
15. किसी विशिष्ट निर्देश के अभाव में, टेलीग्राफिक ट्रांसफर! डिमांड ड्राफ्ट उस देश की मुद्रा में प्रभावी होगा, जिसमें भुगतान किया जाना है।
16. भारत के बाहर किए गए सभी शुल्क लाभार्थी के खाते के लिए हैं।



Live more,
Bank less

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

मुंबई	: टेलीफोन:	+91 22 6638 8888
बैंगलुरु	: टेलीफोन:	+91 80 6632 8888
चेन्नई	: टेलीफोन:	+91 44 6656 8888
कुड्डालोर	: टेलीफोन:	+91 413 3208 195
कोल्हापुर	: टेलीफोन:	+91 231 3050 100
कोलकाता	: टेलीफोन:	+91 33 6621 8888
मुरादाबाद	: टेलीफोन:	+91 591 6601 300
नासिक	: टेलीफोन:	+91 253 6632 100
नई दिल्ली	: टेलीफोन:	+91 11 3041 8888
पुणे	: टेलीफोन:	+91 20 6621 8888
सलेम	: टेलीफोन:	+91 427 6641 300
सूरत	: टेलीफोन:	+91 261 6675 400